तारीख हुक्म	
14.1.20	पत्रावली प्रस्तुत की गयी। वकील वादी के प्रतिनिधि उप०। वकील वादी के प्रतिनिधि ने जवाब पेश नहीं करना चाहा व अदालत कार्यवाही की वकील वादी दावा मे प्रा० पत्र का जवाब पेश नहीं चाहते है। अत: जवाब प्रा० पत्र 07 R11 बंद किया जाता है।
	बहस प्रा० पत्र सुनी गयी। वकील प्रतिवादी ने प्रा० पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण विवादित कृषि भूमि के काश्तकार नहीं है। इसलिए वादीगण को उक्त वाद पेश करने का कोई राईट एवं टाईटल नहीं है। वाद विधि द्वारा वर्जित है। इसलिए वादी का वाद खारिज किया जावे। इसके विपरीत वकील वादी के प्रतिनिधि ने कथन किया कि उक्त भूमि आवंटी लेखूराम से जरिये इकरारनामा खरीद की है। भूमि पर खरीद के रोज से वादीगण का कब्जा काश्त चल रहा है। प्रस्तुत प्रा०पत्र 07 R11 सारहीन है। इसे खारिज फरमाया जावे।
	पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। चूंकि जब यह वाद प्रस्तुत किया गया था तब वादीगण तनाजागत भूमि के खातेदार काश्तकार थे परन्तु माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा दीवानी वाद संख्या - 06/08 पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10/4/19 एवं इजराय प्रकरण संख्या - 15/19 बीरबलराम बनाम परमाराम में पारित आदेशों की पालना में [illegible] के द्वारा तनाजागत भूमि का डिक्रीदार/वादीगण बीरबलराम पुत्र चौथूराम नायक साकिन 8GM तहसील घड़साना वगैरह के नाम से नामांतकरण दर्ज करते हुए दिनांक 6/11/19 को वादीगण/डिक्रीदार बीरबलराम S/o चौथूराम जाति

Scanned by CamScanner

नायक कोस्ट को कब्जा सुपुर्द किया जा चुका है। फलत: हस्तगत वाद में कानूनी स्थिति जब वाद पेश किया गया था, उनकी बजाय वर्तमान परिवर्तित हो चुकी है एवं हस्तगत वाद में खातेदारी एवं अन्य प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार बन चुका है। फलत: माननीय न्यायालय की अनुपालना में अप्रार्थी सं० -1 एवं अन्य को कब्जा दिलवाने के परिणामस्वरूप हस्तगत वाद में उनके विरुद्ध प्रश्नगत भूमि की कब्जा कास्त में बेजा मदाखलत न करने एवं इंतकाल की कार्यवाही न किये जाने / रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन न किये जाने संबंधी आदेश का न्यायालय के स्तर पर जारी किया जाना मेरे विनम्र मत में न तो विधिसम्मत है एवं न ही औचित्यपूर्ण है। फलत: वाद विधि द्वारा वर्जित है एवं हस्तगत वाद का न्यायालय की राय में नामंजूर किया जाना समीचीन है। अत: अप्रार्थी सं० -1 द्वारा प्रस्तुत 07 R11 का प्रार्थना पत्र एतद् द्वारा स्वीकार किया जाकर वादपत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो नम्बर से कम हो।

14/01/2020